

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त), अरावली भवन,

जयपुर। क्रमांक:—एफ ( )/अप्रमुवसं/सूप्रौ/CUG/2014-15/ 313-32

दिनांक:—25/4/14

निमित्त,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (FTI), जयपुर।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर कोटा, उदयपुर,

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव भरतपुर, वन्य जीव जयपुर, वन्य जीव जोधपुर, वन्य जीव कोटा, वन्य जीव उदयपुर, विभागीय कार्य जयपुर, आर.वी.पी कोटा, एफ.पी.आर जयपुर, सिल्वा, जयपुर।

उप वन संरक्षक प्रशासन कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (TREE), राजस्थान जयपुर।

विषय :- कर्मचारियों के लिये CUG SIM उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्रांक 2459-74 दिनांक 19.3.2014

महोदय,

विषयान्तर्गत आपके एवं अधिनस्थ वन मण्डलों हेतु वन कर्मचारियों के विभाग द्वारा क्लोज्ड यूजर ग्रुप (CUG) SIM जारी करने के लिये आपके एवं अधिनस्थ वन मण्डल कार्यालय से निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है—

- उन सभी फील्ड अधिकारियों/कर्मचारियों (मंत्रालयिक व वर्कचार्ज कर्मचारियों को छोड़कर) जिन्हें राज्य सरकार से दूरभाष का पुर्नभरण प्राप्त नहीं होता है एवं जिनको पहले सिम नहीं मिली है उन्हें विभाग द्वारा मुफ्त CUG SIM उपलब्ध कराया जा रही है इस हेतु प्रपत्रों में सभी पात्र कर्मचारियों की सूचनायें भलीभांति चैक कर निम्नानुसार भेजें :-

- प्रपत्र-1 (Excel sheet) में सभी पात्र कर्मचारियों की सूचना Microsoft Excel format में टंकित कर इस कार्यालय के ई-मेल [pa.gis.forest@rajasthan.gov.in](mailto:pa.gis.forest@rajasthan.gov.in) पर प्रेषित की जावें। जिससे तुरन्त सिम जारी करने में सुविधा हो सके।

प्रपत्र-1

(सी.यू.जी. सिम जारी कराने हेतु पात्र कर्मचारियों/अधिकारियों की सूची)  
कार्यालय.....

| क्र.सं. | कर्मचारी का नाम | पद | जन्मतिथि | Employee ID | Email ID (if any) |
|---------|-----------------|----|----------|-------------|-------------------|
|         |                 |    |          |             |                   |
|         |                 |    |          |             |                   |

- ई-मेल से भेजने के अतिरिक्त प्रपत्र-2 (सलग्न) में फोटो व हस्ताक्षर सहित सूचना प्रिंट कर भी अलग से भेजे।

प्रपत्र-2

सी.यू.जी सिम जारी कराने हेतु पात्र कर्मचारियों/अधिकारियों की सूची  
कार्यालय .....

मुझे यदि विभाग द्वारा सी.यू.जी. सिम आवंटित की जाती है, तो इस संबंध में वर्णित सभी शर्तें मान्य हैं।

| S.No. | Name | Post | DOB | Employee ID | PHOTOGRAPH | SIGNATURE |
|-------|------|------|-----|-------------|------------|-----------|
|       |      |      |     |             |            |           |
|       |      |      |     |             |            |           |

(C) CUG सिम जारी करने सम्बन्धी BSNL की Terms & Conditions स्वीकार होने के बारे में प्रत्येक कर्मचारी के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर Terms & Conditions के पृष्ठ के पीछे निम्न प्रपत्र में करवायें।

प्रपत्र-3

(BSNL की Terms & Conditions के पीछे Print कर/लिख कर हस्ताक्षर करें)  
कार्यालय.....

मुझे यदि विभाग द्वारा सी.यू.जी. सिम आवंटित की जाती है, तो इस संबंध में वर्णित सभी शर्तें मान्य हैं।  
सहमति स्वरूप हस्ताक्षर कर रहा हूँ

| क.सं. | कर्मचारी का नाम | पद | जन्मतिथि | Employee ID | हस्ताक्षर |
|-------|-----------------|----|----------|-------------|-----------|
|       |                 |    |          |             |           |
|       |                 |    |          |             |           |

2. SIM खोने की दशा में कर्मचारी को दूसरी सिम आवंटित नहीं की जावे। सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सिम खोने तुरंत सूचना देकर इसे ब्लॉक कराने एवं इसके स्थान पर अन्य सिम जारी कराने अथवा अन्य किसी समस्या के लिये स्थानीय कार्यालय/BSNL Call Centre/में उपभोक्ता सेवा केन्द्र में सम्पर्क कर तत्परता से आवश्यक कार्यवाही करें। एवं यह विशेष ध्यान रखा जावे कि सिम खोने की दशा में इसका दुरुपयोग न होने पाये।
3. यदि त्रुटिवश किसी कर्मचारी को एक से अधिक SIM प्राप्त हो जाती है तो यह सुनिश्चित करें कि वह अतिरिक्त SIM वापस सम्बन्धित उप वन संरक्षक/कार्यालयध्यक्ष के कार्यालय में जमा करें।
4. यह भी सुनिश्चित करे कि यदि कोई कर्मचारी किसी भी कारण से राज्य सेवा में न रहे तो उसका SIM अपने कार्यालय में जमा कर, उस SIM को किसी और पात्र कर्मचारी को आवंटित की जाने से पूर्व उपरोक्त तीनों प्रपत्रों में सूचना के साथ-साथ फोटोग्राफ एवं Terms & Conditions के पृष्ठ पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर करवाकर भेजें एवं इस कार्यालय से अनुमोदन के पश्चात् ही वह सिम अन्य पात्र कर्मचारी को दी जावे। जिससे data base में विभागीय वेबसाईट पर आवश्यक परिवर्तन किये जा सके।
5. वन विभाग में ही अन्यत्र स्थानान्तरण की दशा में SIM कर्मचारी से वापस नहीं ली जाए क्योंकि यह कर्मचारी के नाम से ही जारी की जा रही है।
6. यह सुनिश्चित करें है कि :-
  1. भविष्य में इस सूचना का प्रयोग मानव संसाधन प्रबंधन में किया जाना है, अतः यह सूचना सही होना आवश्यक है। कृपया समस्त सूचना सावधानी पूर्वक मिलान करे। Employee ID एवं अन्य सूचनायें सही हैं एवं सूची में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो आगामी छः माह में सेवानिवृत्त होने वाला है
  2. समस्त सेवा निवृत्त कर्मचारियों से पूर्व में आवंटित SIM पुनः प्राप्त कर ली है।
  3. पूर्व में आवंटित समस्त SIM का विवरण, प्राप्ति रसीद एवं कर्मचारियों की फोटो सम्बन्धी पूर्ण सूचना भेज दी गयी है

सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक, अपने अधीन समस्त उप वन संरक्षकों से उक्त सूचना उपरोक्त प्रपत्रों में पूर्ण करवाकर इस कार्यालय को एक साथ भिजवायें। मुख्य वन संरक्षक से सूचना प्राप्त होने पर इस अनुभाग द्वारा SIM आवंटन की कार्यवाही पूर्ण कर सम्बन्धित को सिम प्राप्त करने हेतु सूचित किया जावेगा तभी उस कार्यालय का कर्मचारी सिम प्राप्त करने आयें। BSNL की SIM कार्यालय वार, एक साथ इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी जिसके वितरण की व्यवस्था आपके स्तर से की जाकर प्राप्ति रसीद इस कार्यालय को प्रेषित की जावेगी।

संलग्न : (1.) प्रपत्र (Excel sheet) 2. व 3 (2) प्रपत्र BSNLs Condition Form

भवदीय,

  
अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
सूचना प्रौद्योगिकी,  
राजस्थान, जयपुर।